न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2019

उनवान

1. देबी लाल पिता श्री रूपा जी खारोल, उम्र वयस्क निवासी पुरावतों का आकोला सिन्दरी के बालाजी के पास, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा
2. रामेश्वर पिता श्री रूपा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुरावतों का आकोला सिन्दरी के बालाजी के पास, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. देवकरण पिता श्री नाथू खारोल माता एजन उम्र वयस्क निवासी पालसा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. काना पिता श्री नाथू खारोल माता एजन उम्र वयस्क निवासी पालसा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती लाडू पुत्री स्व0 श्री नाथू खारोल माता एजन पत्नी काशीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी पालसा चैनपूरियां तह0 बेंगू जिला चितौड़गढ
4. अलोल पुत्री स्व0 श्री नाथू खारोल माता एजन पत्नी नगजीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रूकमा पुत्री श्री नाथू खारोल माता एजन पत्नी उगमा खारोल निवासी चैनपूरियां तह0 बेंगू जिला चितौड़गढ
6. ठमू पुत्री स्व0 श्री नाथू खारोल माता एजन पत्नी श्री गणेश खारोल उम्र वयस्क निवासी काणोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. कुसुम मेहता पत्नी श्री पुखराज मेहता उम्र वयस्क निवासी 1 एच 23, पुराना हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता वादी श्री अशोक कुमार गटानी, सुनिल कुमार गटानी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 06 राजू डिडवानिया

–:अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यू एक्ट अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1610 दिनांकित 05.09.2018 ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र सिदडियास ग्राम पंचायत सिदडियास तहसील एवं जिला भीलवाड़ाः–

निर्णय

दिनांक 13.05.2024

यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिदडीयास पंचायत समिति सुवाणां का नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो नामान्तरण तथ्यों एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र सिदडीयास की आराजी संख्या 798/184 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्व. श्री भागीरथ पिता श्री नौला खारोल के नाम जमाबन्दी में दर्ज थी जो

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जमाबन्दी सम्मत 2071–2074 में दर्ज हैं उक्त आराजीयात पर भागीरथ का ही कब्जा कास्त एवं उपयोग उपभोग था।

अपीलार्थीगण भागीरथ पिता श्री नौला खारोल के भाई रूपा पिता नौला खारोल के पुत्र हैं। भागीरथ पिता श्री नौला खारोल की मृत्यु हो गयी। भागीरथ पिता श्री नौला खारोल के बाद विरासत से नामान्तरण में अपीलार्थीगण का ही नाम दर्ज होना चाहिए था रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 तक का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का भागीरथ की जायदाद में कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

भागीरथ पिता श्री नौला खारोल के कोई संतान पुत्र/पुत्री नहीं थे व नहीं है। भागीरथ पिता श्री नौला खारोल की मृत्यु से पूर्व ही कई वर्षों पूर्व उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गयी थी। भागीरथ पिता श्री नौला खारोल अपीलान्ट के साथ ही निवास करता था ओर अपीलान्ट ही उसकी सेवा सुश्रा करते और खाने–पीने व ओडने को देते थे भागीरथ अपीलान्ट का काका था और भागीरथ की मृत्यु के बाद उनका अन्तिम कियाकम व सामाजिक कार्यकम अपीलान्ट ने ही किया। अपीलान्ट भागीरथ के भाई के पुत्र होने से एकमात्र वारिस होते हैं इसलिए भागीरथ की आराजीयत का नामान्तरण अपीलान्ट के नाम पर ही खोला जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 भागीरथ की बहिन एजन के पुत्र/पुत्री है। भागीरथ की बहिन व अपीलान्ट की भूआ एजन की मृत्यु कई वर्षों पूर्व भागीरथ से भी पूर्व हो गयी थी तथा एजन शादी होकर शुरू से ही अपने ससुराल ग्राम पालसा में निवास करती आ रही थी। एजन की मृत्यु पूर्व में हो गयी थी और एजन का भाई की सम्पति में कोई हक अधिकार नही होता है फिर भी पटवारी हल्का ने गलत तौर से अवैध तरीके से भागीरथ की मृत्यु के बाद नामान्तरण एजन के पुत्र/पुत्रीयां का नाम दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है इसलिए नामान्तण निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का हक अधिकार नही होने से नाम हटाया जाकर अपीलार्थीगण का ही नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अधिनिस्थ ग्राम पंचायत अपीलार्थीगण का कोई सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया अपीलार्थीगण को बिना सुने ही और बिना सूचना दिये ही पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो सर्वथा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 तक के नाजायज प्रभाव में आकर गलत तौर से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का नाम दर्ज कर दिया और अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 के प्रभाव में आकर अपीलार्थीगण को बिना सुने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 के नाम 1ध2 से दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 की माता एजन का भी कोई हक अधिकार नही है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का कोई हक अधिकार कानूनन नही बनता है। एजन भागीरथ की बहिन थी और बहिन का भाई की सम्पति में कोई हक अधिकार नही बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का नाम गलत तौर से नाजायज रूप से विधि विरूद्ध दर्ज किया हैं जो नाम हटाये जाना आवश्यक होने से नामान्तरण संख्या 1610 सर्वाथा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण भागीरथ के भाई पुत्र है अपीलार्थीगण ने ही भागीरथ की सेवा एवं भरण पोषण किया और अपीलार्थीगण के साथ ही भागीरथ निवास करता था तथा भागीरथ की मृत्यु के बाद सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार अपीलार्थीगण के पगडी देवीलाल बन्धी और

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ामाजिक तौर से एवं भाई के पुत्र होने से वारिस है इसलिए उत्त आराजीयात का सम्पूर्ण
ामान्तण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।
अपीलान्टीगण को नामान्तरण संख्या 1610 की दिनांक 05.09.2018 की कोई जानकारी
हीं थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 का नाम दर्ज होने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने रेस्पोडेन्ट
ंख्या 07 को आराजीयात विक्रय कर दी और विकय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 07
िनांक 04.01.2019 को अपीलार्थीगण के कब्जे में दखल करने पर आमादा हुए तो अपीलान्ट
े दिनांक 05.01.2019 को पटवारी हल्का से सर्म्पक कर जमाबन्दी एवं नामान्तरण की नकल
ाप्त की जिससे अपीलान्ट को जानकारी हुई। नामान्तरण की नकल प्राप्ति दिनांक 05.02.
2019 से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है। मियाद की छुट प्रदान किये जाने हेतु धारा 05 कानून
मयाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिदडीयास द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 1610 दिनांक 05.09.2018 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के नाम उक्त आराजीयात दर्ज किये जाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06का नाम हटाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावें विकल्प में निवेदन है कि नामान्तण निरस्त किया जाकर दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने के लिए पत्रावली तहसीलदार साहब भीलवाडा को प्रेषित किया जाने का आदेश पारित फरमाया जावें।

अपीलार्थी की अपील पंजिबंद्ध की गई। रेस्पोडेन्टगण के सम्मन जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 08 के अनुपस्थित रहने से दिनांक 07.04.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षीगण अधिवक्ता दिनांक 08.12.2021 को अनुपस्थित रहें। उपभयपक्ष अधिवक्ता की दिनांक 21.02.2022 को बहस सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 14.11.2022 को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.07.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में दिनांक 08.04.2024 को अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपील प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मयाद अधिनियम
पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या
1610 दिनांक 05.09.2018 की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम
जानकारी विपक्षी संख्या 07 द्वारा दिनांक 04.01.2019 को कब्जे में दखल करने पर
नामान्तकरण की नकल दिनांक 05.01.2019 को लेने पर हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नही
थी। ग्राम पंचायत सिदडियास ने नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी।
अतः प्रार्थीगण ने नामान्तकरण संख्या 1610 की नकल प्राप्त होने की दिनांक से 05.02.2019
तक का समय जानकारी के अभाव में छूट प्रदान कराई जाकर अपील अन्तर अवधि शुमार
कराए जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। न्याय की दृष्टि से
नामान्तकरण संख्या 1610 निर्णय दिनांक 05.09.2018 की अपील में 05.09.2019 तक का समय
सम्य करने की आदेश प्रदान किए जाते है। तदुपरांत अपीलार्थी की अपील में सुनवाई की
गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र
सिदडियास भू–अभिलेख नि0 क्षेत्र महुआकलां के नामान्तकरण संख्या 1610 में भागीरथ पिता
नौला खारोल सा0 देह खातेदार की आराजी नम्बर 798/184 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि
में विरासत नामान्तकरण में रामेश्वर, देवीलाल पिता रूपा 1/2 देवकरण काना पिता नाथू

खण्ड अधिकारी एवं
पदन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

माता एजन लाडू, अलोल, रूकमा, ठमु पिता नाथू माता एजन 1/2 खारोल के नाम दिनांक 05.09.2018 को सरपंच ग्राम पंचायत सिदडियास द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसका अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में किया गया। वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा देवकरण, काना, लाडू, अलोल, रूकमा, ठमु पुत्रगण व पुत्रियां नाथू खारोल निवासी काणोली तह0 भीलवाड़ा ने श्रीमती कुसुम मेहता धर्मपत्नी पुखराज मेहता निवासी 1 एच 23 पुराना हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाड़ा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.01.2019 से विक्रय कर दिया।

तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्र कमांक 753 दिनांक 09.11.2022 प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम आकोला की आराजी नम्बर 798/184 रकबा 0.6449 है0 भूमि वर्तमान में कुसुम पत्नी पुखराज मेहता के नाम दर्ज है। मौका पर्चा दिनांक 10.09.2022 अनुसार भागीरथ पिता नोला खारोल को फोत हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके है। भागीरथ लाऔलाद फोत हो चुका है। भागीरथ की पत्नी पूर्व में ही फोत हो चुकी है। भागीरथ के विधिक वारिसान का सजरा निम्नानुसार है :–

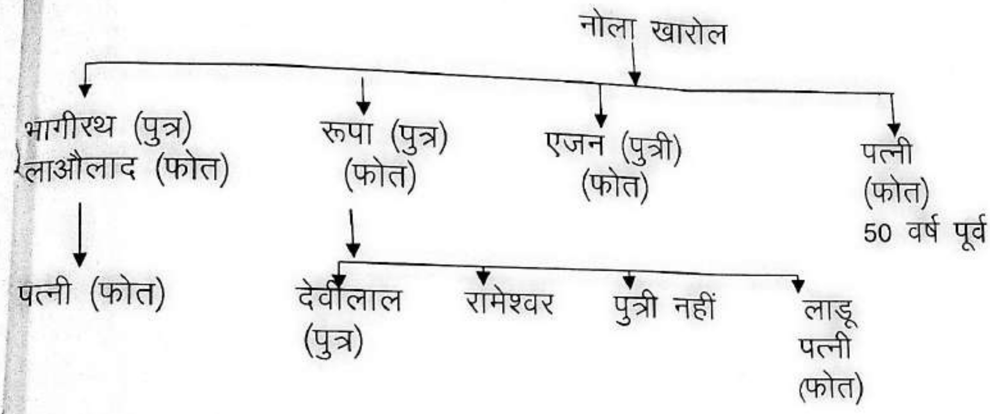

अपील के समर्थन में देवीलाल पिता रूपा खारोल निवासी पुरावतों का आकोला ने शपथ पत्र दिनांक 14.07.2021 का प्रस्तुत किया है।

अपीलान्ट ने अपील के संबंध में एक शपथ पत्र दिनांक 14.07.2021 का प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि ऐजन की मृत्यू हो जाने के बाद उसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 है, क्योंकि भागीरथ की मृत्यू से पूर्व ही ऐजन की मृत्यू हो गई। और भागीरथ की मृत्यू के समय भागीरथ का भाई अपीलान्ट के पिता रूपा जीवित था। इस कारण हिन्दू उतराधीकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार भागीरथ का भाई रूपा द्वितीय अनुसूची के अनुसार वारिस होने से भागीरथ का रूपा के अतिरिक्त भागीरथ की संपत्ति में किसी का अधिकार सृजित नहीं होता है। चुंकि बाद में रूपा की मृत्यू हो गई तो भी रूपा के पुत्र अपीलान्ट का भागीरथ की उक्त जमीन पर हक अधिकार कानूनन बनता है। ऐजन के वारिसान का कोई हक अधिकार नहीं बनता है, इस कारण भागीरथ की संपूर्ण जायदाद पर अपीलान्ट का हक अधिकार स्थापित है। भागीरथ की संपूर्ण जायदाद का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में किया जावे। अपीलार्थीगण ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है – AIR 2009 (NOC) 559 (BOM) 2008 (6) AIR BOM R 340 Bombay High Court जो इस प्रकरण पर चस्पा होते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र सिदड़ियास भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र महुआकलां तह0 भीलवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 1610 भागीरथ पिता नोला खारोल सा0 खातेदार के नाम दर्ज आराजी नम्बर 798/184 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि को भागीरथ की विरासत में रामेश्वर, देवीलाल पिता रूपा 1/2 एवं देवकरण, काना पिता नाथू माता ऐजन, लाडू, अलोल, रूकमा, ठमू पिता नाथू माता ऐजन 1/2 दर्ज करने की स्वीकृति सरपंच ग्राम पंचायत सिदड़ियास द्वारा दिनांक 05.09.2018 को प्रदान की गई। जबकि भागीरथ की विरासत में ऐजन पुत्री भागीरथ के वारिसान का नाम दर्ज नहीं करना था, क्योंकि ऐजन की मृत्यू भागीरथ की मृत्यू से पूर्व ही हो चूकी थी। भागीरथ की विरासत में भागीरथ के भाई रूपा जो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची वर्ग 2 के अनुसार अपीलार्थी देवीलाल, रामेश्वर पिता रूपा खारोल के नाम पर ही दर्ज किया जाना चाहिए था। सरपंच ग्राम पंचायत सिदड़ियास का आदेश दिनांक 05.09.2018 त्रुटिपूर्ण ठहरता है, जिसे अपास्त कर तहसीलदार भीलवाड़ा को विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर पुनः विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमान्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार की जाकर ग्राम आकोला के नामान्तकरण संख्या 1610 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत सिदडियास के आदेश दिनांक 05.09.2018 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को रिमान्ड कर आदेश दिए जाते है कि भागीरथ पिता नोला खारोल निवासी पुरावतों का आकोला के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर पुनः विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा